न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2176–PBR/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–2015– पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 72/2014–15 अपील

1– आलम खॉ 2– गजनवी खॉ 3– अफजल खॉ
तीनों पुत्रगण मजीद खॉ , निवासीगण ग्राम
विजरौनी तहसील बदरवास जिला शिवपुरी, म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– नन्ने खॉ पुत्र हमीद खॉ
2– श्रीमती सम्मो पुत्री मजीदखॉ पत्नि हयाम खॉ
निवासी बस्ती खनियाधाना जिला शिवपुरी
3– महिला शकीला पुत्री मजीद खॉ निवासी ग्राम
स्कदपुर बायवास जिला गुना मध्य प्रदेश
4– हमीद खॉ पुत्र इमाम खॉ
5– नबाब खॉ पुत्र हमीद खॉ निवासी ग्राम बिजरौनी
तहसील बदरवास जिला शिवपुरी --- अनावेदकगण

(श्री एस0एल0धाकड़ अभिभाषक – आवेदकगण)

(श्री एस0पी0धाकड़ अभिभाषक – अना.1)

(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 02 जनवरी, 2016)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालिययर द्वारा प्रकरण कमांक 72/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–7–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि बाबू खॉ, बहीद खॉ एंव मजीद खॉ के नाम ग्राम बिजरोनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 2929 रकबा 0.795 हैक्टर, 2935 मिन 2 रकबा 0.363 हैक्टर, 2957 रकबा 0.888 हैक्टर, 2944 रकबा 4.432 हैक्टर भूमि रही है। यह तीनों ही भूमि स्वामी मृतक हैं जिनमें से बहीद खॉ ने अपने हिस्से की स्वअर्जित भूमि सर्वे नंबर 2944 रकबा 4.432 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 2929, 2935 मिन तथा 2957 में से अपने हिस्से की भूमि बसीयत के माध्यम से नन्ने खॉ (अनावेदक क-1) को प्रदान की। नन्ने खॉ ने बसीयत के आधार पर नामानतरण की मांग करने पर तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 67/97-98 अ-6 पंजीबद्व हुआ एंव आदेश दिनांक 13-8-99 से बसीयत अनुसार उक्तांकित भूमियों पर बसीयतग्रहीता नन्ने खॉ का नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 167/98-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-7-01 से अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय की ओर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर पुर्नसुनवाई उपरांत कमांक 67/97-98 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 16-12-2003 से बसीयत के आधार पर पुनः नन्ने खॉ का नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 23/03-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-04 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 16-12-2003 निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष अपील होने पर अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियरयर में निगरानी कमांक 724-एक/13 दर्ज होने पर निरस्त हुई। फलतः अनुविभागीय अधिकारी कोलारस का आदेश दिनांक 25-6-04 स्थिर रहा जिसके आधार पर तहसील न्यायालय में नामान्तरण कार्यवाही होना थी।

दिनांक 18-5-13 को पटवारी हलका नंबर 23 ने बहीद खॉ, बाबू खॉ, मजीद खॉ खातेदारों के मृतक होने से ग्राम की नामान्तरण

पंजी के सरल कमांक 63 पर प्रविष्टि दर्ज की एंव तहसीलदार बदरवास ने आदेश दिनांक 20.6.2013 से मृतक के वारिसान का नामांत्रण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 13/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-11-14 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 72/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2015 से अपील स्वीकार कर बसीयतनामे के आधार पर मृतक बहीद खॉ के स्थान पर बसीयतग्रहीता नन्ने खॉ का नामान्तरण स्वीकार किया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण एंव अनावेदक क-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार ने बसीयत में उल्लिखित भूमि के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 25-6-04 को किये गये आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं कर मृतक वहीद खॉ (बसीयतकर्ता) तथा अन्य मृतकों की भूमि के साथ ही बसीयत की विवादित भूमि का भी नामांत्रण वारिसाना आधार पर कर दिया जो त्रृटिपूर्ण है। अनावेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि मृतक की भूमि पर वारिसानों का नामान्तरण किया गया है उसमें बसीयत की भूमि शामिल नहीं है। अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 63 पर तहसीलदार बदरवास व्दारा दिये गये आदेश दिनांक 20.6.2013 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अपील कमांक 13/13-14 प्रस्तुत हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 14-11-14 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी गई और इसी आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 72/14-15 प्रस्तुत हुई, तब

क्या अपर आयुक्त को अनुविभागीय अधिकारी के म्याद वावत् लिये गये निर्णय पर विचार को छोड़कर प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण का उचित है ? भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 44 सहपठित-47 - प्रथम अपीलीय न्यायालय व्दारा अपील बेरूम्याद होने से निरस्त की गई - द्वित्तीय अपीलीय न्यायालय मात्र म्याद के प्रश्न को विनिश्चत् करेगा - यदि विलम्ब क्षमा योग्य पाया जाता है - विलम्ब क्षमा कर मामला गुणदोष पर निराकरण हेतु प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जायेगा। विचाराधीन प्रकरण में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने समयावधि के बिन्दु पर विचार न करते हुये आदेश दिनांक 6-7-15 व्दारा अपील का निराकरण गुणदोष पर करने में त्रृटि की है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस के प्रकरण कमांक 13/2013-14 अपील के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-6-13 के विरूद्व अपील 31-1-14 को अर्थात 07 माह के अंतराल पर प्रस्तुत हुई है, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 में किये गये सँशोधन 2011 अनुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु समयावधि 30 दिवस की निर्धारित है। माधुरी वाई विरूद्व ग्रेसिम इन्ड्रस्टीज 1995 जे0एल0जे0 217 में प्रतिपादित है कि विलम्ब माफ करने में विरोधी पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकारों को विनष्ट नहीं करना चाहिये। परन्तु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने आदेश दिनांक 6-7-2015 पारित करते समय जानबूझकर अनुविभागीय अधिकारी कोलारस व्दारा विलम्ब से प्रस्तुत अपील में किये गये निर्णय पर विलम्ब के बिन्दु को नजरन्दाज करते हुये गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करने की भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 6-7-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पक्षकारों के मध्य विचाराधीन भूमि को लेकर पूर्व में प्रचलित प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी कोलारस द्वारा रिमान्ड किये गये आदेश दिनांक 25-6-04 के अनुसार

तहसील न्यायालय में नामान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही होना चाहिये थी परन्तु उस प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई , इस पर कोई विचार किये बिना तहसीलदार बदरवास ने दिनांक 20.6.13 को खातेदारों के मृतक (जिसमें बसीयतकर्ता वहीद खॉ शामिल था) होने पर मृतकों के वारिसों का नामान्तरण कर दिया। इसमें बहीद खॉ की वह भूमि भी शामिल थी जिसकी बसीयत नन्हे खॉ को करने के सम्बन्ध में विवादास्पद स्थिति थी - इस पर वारिसाना नामान्तरण के समय तहसीलदार ने विचार नहीं किया। इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी के रिमान्ड आदेश दिनांक 25-6-04 के अनुसार तहसीलदार को कार्यवाही करना चाहिये थी तथा उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई, वारिसान नामान्तरण के समय इसे विचार में लेना था। इस त्रृटि के कारण तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 20-6-13 भी स्थिर रखने योग्य नहीं है। अतः निगरानी ऑशिक-रूप से स्वीकार करते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 20-6-13, अनुविभागीय अधिकारी कोलारस व्दारा प्रकरण कमांक 13/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-11-14 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालिययर द्वारा प्रकरण कमांक 72/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाते हैं तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि बसीयत में उल्लिखित विवादास्पद भूमि के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी कोलारस व्दारा पूर्व में दिनांक 25-6-04 को दिये गये रिमान्ड आदेश के अनुसार तहसीलदार व्दारा विधि अनुसार विचार कर कार्यवाही की जाय। बसीयत में अंकित विवादित भूमि के अतिरिक्त मृतक भूमिस्वामियों की अन्य शेष भूमियों के सम्बन्ध में तहसीलदार विधि अनुसार नामान्तरण कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर